

# Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

Dr. Yandhvir Singh  
Head of Law faculty  
N.A.S. P.G. College  
Meerut

MANEESHA SHARMA  
Law faculty  
N.A.S. P.G. College  
Meerut

विभिन्न प्रविधि का क्या अर्थ है 2 इसका  
विभिन्न प्रविधि का क्या है 3 वैकल्पिक विवाद निश्चय  
प्रणाली के लाभ बताइये ।

यह सर्वविदित है कि आधुनिक न्याय प्रणाली वार्दों की  
संख्या में लगातार वृद्धि के कारण अति भारित है  
जिसके कारण वार्दों के निपटारे में अयुक्तियुक्त देरी  
होती है और फलस्वरूप वादकारी का काफी समय  
और धन नष्ट होता है । प्रमः यह देखा गया है की  
ऐसी व्यवस्था में वाकारी को न्याय की अपेक्षा अन्याय  
सहन करना पड़ता है साथ ही वर्तमान न्याय-व्यवस्था  
इतनी भंगी हो चुकी है कि आज न्यायालयों से न्याय  
प्राप्त करना आम मादमी की पहुंच से बाहर हो गया है  
सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि आज केवल वही  
वादकारी वर्तमान न्याय-व्यवस्था का सहारा लेता है जिसे देश  
के कारण मुकदमों में लाभ होता है अन्य वादकारी या तो  
इस प्रक्रिया को अपने की वजाय अन्याय सहन करना  
वैदर समझते हैं या न्यायालय के बाहर अपनी  
समझौते द्वारा अपने विवादों का निपटारा कर लेते हैं  
ऐसी व्यवस्था में प्रबन यह उदता है कि एक वादकारी  
कहाँ जाये ? अतः आज वादकारी अपने विवादों को इस  
प्रक्रिया से भिन्न किसी अन्य प्रभावी वैकल्पिक विवाद  
हल-प्रणाली के द्वारा तय प्रभावी वैकल्पिक विवाद  
करना वैदर मानता है वरत के ऐसी व्यवस्था कानून  
द्वारा मान्य हो । यह समस्या न केवल भारत के  
सामने है बल्कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और  
इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के सामने भी  
विद्यमान है ।

वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली का अर्थ -  
"वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली" नामक पदावली "आमक  
पदावली को दो अर्थों में परिभाषित किया  
जा सकता है -

[i] विस्तृत एवं (ii) संकीर्ण।

(i) विस्तृत अर्थ में - अपने विस्तृत अर्थ में वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली में विवाचन भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि विवाचन मुकदमों के लिए एक विकल्प का निर्माण करता है।

(ii) संकीर्ण अर्थ में - संकीर्ण अर्थ में वैकल्पिक विवाद एक प्रणाली विवाचन और मुकदमों को अपने क्षेत्र से बाहर करती है क्योंकि मुकदमों की तरह विवाचन भी आरोपित निर्णय की कल्पना करता है। अतः इस अर्थ में वैकल्पिक विवाद निश्चय प्रणाली के अन्तर्गत केवल उन प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। जिनमें निर्णय अन्तिम रूप से पक्षों की सहमति द्वारा होता है। विवाद निश्चय के दम को संकेत करने के लिए "मैत्रीपूर्ण समझौता" उचित शब्द प्रतीत होता है।

मैत्रीपूर्ण समझौते के आवश्यक तत्व - एक ऐसे करता है; निम्नांकित आवश्यकताएँ हैं -

- [1] पक्षों को वार्ता की मैज प्रसंगता।
- [2] विवादित समस्याओं से परिचित कराना।
- [3] तथ्यों की स्थापना करना।
- [4] विवादकों को स्पष्ट करना।
- [5] निपटारे के विकल्प को विकसित करना।
- [6] अन्त में करार करना।

वैकल्पिक विवाद निश्चय की प्रविधियाँ

एक वैकल्पिक विवाद एक प्रणाली की मान्य विभिन्न प्रविधियों या प्रक्रिया निम्न प्रकार है -

- [1] वार्ता - विवादों को हल करने के लिए विवाद के पक्षों की आपसीवार्ता सबसे सरल एवं उत्तम ढंग है। यह एक मध्यकारी प्रक्रिया

है जिसमें वाद के पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से वार्ता में शामिल होते हैं इनमें किसी तीसरे पक्ष का पक्ष कोई हस्तक्षेप

होते हैं। (1) जनक या मुख्य मायश्यक म लक्षण

[2] लघु-परीक्षण - लघु-परीक्षण एक ऐसी अन्धकारी प्रक्रिया है जिसमें विवाद के पक्षकार अपने-पने मामले को अपने-अपने जैसे निष्पादकों जो निर्णय देने के लिए सहमत होते हैं।

[3] विवाचन - विवाचन एक ऐसी अन्धकारी प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत विवाद को न्याय निर्णय के लिए किसी जैसे माध्यस्था न्यायाधिकरण को सौंपा जाता है जो या तो एक मात्र या अन्य असमान संख्या वाले विवाचकों से गठित होता है।

(4) तीव्र-पथ विवाचन - यह विवाचन की एक ऐसी अन्धकारी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत विवाद के पक्षकार विवाद को जैसे माध्यस्थ कार्यवाही को सौंपने के लिए सहमत होते हैं जो माध्यस्थ पंचात को शीघ्रता से कम समय में प्रदान करे। वैकल्पिक विवाद निश्चित प्रणाली के लाभ नियमित न्याय व्यवस्था के मुकाबले में वैकल्पिक विवाद (A.D.R.) इस व्यवस्था के निम्नलिखित हैं-

[1] वैकल्पिक विवाद इस प्रणाली कभी भी आरम्भ की जा सकती है।

[2] कम खर्च और कम समय में बेहतर समाधान।

[3] वैकल्पिक कार्यक्रम लौचदार होते हैं।

[4] मुकदमों के पक्षों की स्वतन्त्रता वैकल्पिक प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होती।

वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयोग वकीलों या वकीलों के बिना किया जा सकता है।

वैकल्पिक प्रक्रिया न्यायालय के कार्य-भार को करने में सहायता करती है।

वैकल्पिक प्रक्रिया पक्षों को तटस्थ विशेषज्ञों को चुनने की अनुमति देता है।

निष्कर्ष - यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सामाजिक शांति और एकता स्थापित करने के लिए विवादों का शीघ्र निपटारा अत्यन्त आवश्यक तत्व है। आदि युग से ब्रिटिश काल तक विवादों का निपटारा अत्यन्त आवश्यक तत्व है। आदि युग से राज्य या पक्षों या काजी द्वारा किया जाता था।